

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव,
उ0प्र0 राज्य विधि आयोग,
लखनऊ।

विधायी अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 26 जून, 2018

विषय:- उ0प्र0 राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष मा0 न्यायमूर्ति श्री आदित्य नाथ मित्तल अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संशोधित सेवा-शर्तें।

महोदय,

विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-53/79-वि-1-2014-33/2013, दिनांक 20 जनवरी, 2014 तथा आदेश संख्या-1482/79-वि-1-2016-33/13, दिनांक 05 अक्टूबर, 2016 के अनुक्रम में निर्गत विधायी अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1780/79-वि0-1-17-33/13, दिनांक 18 सितम्बर, 2017, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा निर्गत आफिस मेमो संख्या-एल-11017/1/2016-जे0य०एस0-1, दिनांक 30.01.2018 के प्रस्तर 2.1.3(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अब रु0 2,50,000/- प्रतिमाह वेतन दिनांक 01.01.16 से अनुमन्य है। उक्त के क्रम में विधायी विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 18.09.2017 के प्रस्तर-3 में रु0 90,000/- (रुपये नब्बे हजार मात्र) प्रतिमाह को संशोधित करते हुए रु0 2,50,000/- (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- विधायी विभाग के उक्त शासनादेश संख्या-1780/79-वि-1-17-33/13, दिनांक 18 सितम्बर, 2017 की शेष अन्य समस्त शर्तें यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-वित्त-ई-12-920/दस-2018, दिनांक 21-06-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

संख्या-1107(1) / 79-वि-1-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2— प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 5— कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6— महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 7— निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ।
- 8— अपर निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कच्छरी रोड, इलाहाबाद।
- 9— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 10— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
- 11— वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
- 12— वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
- 13— वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
- 14— निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ।
- 15— न्याय अनुभाग-9 (बजट)
- 16— गोपन अनुभाग-1
- 17— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार मिश्रा-II)
विशेष सचिव।